रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 212] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 4, 1991/चैत्र 14, 1913
No. 212] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 4, 1991/CHAITRA 14, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

(रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 1991

का.आ. 237(अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1987 के पैरा 9 के उप पैरा (6) के खण्ड(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग मंत्रालय

(रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग) के आदेश संख्या का.आ. 1087 (अ) दिनांक 17-12-1987 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश के नीचे की सारणी में :—

(i) क्रम संख्या 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

सारणी

क्र. सं.	सूत्रयोग का नाम	प्रबलता	पैक का आकार	अधिकतम कीमत (रु.)
"7.	बेरापामिल एचसीएल टिकियां	40 मिग्रा/ड्रेगी	10 का पत्ता	6.51"

(ii) क्रम सं. 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जायेंगी, अर्थात :—

"8.	बेरापामिल एचसीएल ड्रेगीज	80 मिग्रा/ड्रेगी	10 का पत्ता	14.13
9.	बेरापामिल एचसीएल 240 एस आर ड्रेगीज	240 मिग्रा/ड्रेगी	10 का पत्ता	43.09"

[सं. 9(47)/88-पीआई-II]

विनोद वैश, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :—मूल आदेश भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-2, खण्ड 3(ii) में दिनांक 17-12-87 को उद्योग मंत्रालय (रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग) की सरकारी अधिसूचना सं. का. आ. 1087 (अ) दिनांक 17-12-87 के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा उसका संशोधन किया गया था :—

(1) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड 3(ii) में प्रकाशित सरकारी अधिसूचना सं. का. आ. 860 (अ) दिनांक 26-10-1989।

(2) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड 3(ii) में प्रकाशित सरकारी अधिसूचना सं. का आ. 953 (अ) दिनांक 16-11-1989।

MINISTRY OF PETROLEUM & CHEMICALS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

ORDER

New Delhi, the 4th April, 1991

S.O. 237(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-paragraph (6) of paragraph 9 of the Drugs (Prices Control) Order, 1987, the Central Government hereby makes

the following amendments in the Order of the Government of India in the erstwhile Ministry of Industry, (Department of Chemicals and Petro-Chemicals) No.S.O. 1087(E) dated 17-12-1987 namely:—

In the Table below the said order :—

(i) for serial number 7 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

TABLE

Sl. No.	Name of the Formulation	Strength	Pack Size	Ceiling Price (Rs.)
"7.	Verapamil HCL Tablets	40mg/dragee	10's Strip	6.51"

(ii) After serial No. 7 and the entry relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely,

"8.	Verapamil HCL Dragees	80mg/dragee	10's Strip	14.13
9.	Verapamil HCL-240SR Dragees	240mg/dragee	10's Strip	43.09"

[No. 9(47)/86-PI.II]

VINOD VAISH, Jt. Secy.

NOTE : The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II Section 3(ii) dated 17-12-87 vide Government notification, Ministry of Industry (Department of Chemicals and Petro-Chemicals) No. S.O. 1087 (E) dated 17-12-87 and was subsequently amended by : (i) Government notification No. S.O. 860(E) dated 26-10-1989 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 (ii) and (ii) Government Notification No. S.O. 953 (E) dated 16-11-1989 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3(ii).

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1991